

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/518

दिनांक : 16/08/2017

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु
(इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।


उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० अपूर्वा जोशी पुत्री श्री अशोक कुमार जोशी	प्लॉट न. सी-4, अमित स्टूडियो के पीछे, कांता खतुरिया कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० प्रतिभा मिश्रा पुत्री श्री जयदेव मिश्रा	बंशी वाले मंदिर के पास, नागौर
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	डॉ० वर्षा जाखड़ पुत्री श्री सवाई राम जाखड़	निवासी चार रास्ता रानीवाड़ा रोड घेद्रॉल पम्प के पीछे, सांचोर(जालौर)
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० अभिषेक शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा	निवासी वृन्दावन विहार कॉलोनी, वार्ड न०-6, शाहपुरा(जयपुर)
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० आशुतोष पुरोहित पुत्र श्री चन्द्रशेखर पुरोहित	निवासी मकान न०-8, मूथों की गली, नवचौकिया, जोधपुर
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	डॉ० करणीदत्त सारस्वत पुत्र श्री महावीर प्रसाद सारस्वत	निवासी चौधरी कॉलोनी, गंग शहर, बीकानेर
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	डॉ० रजवन्त कौर पुत्री श्री हरविन्द्र सिंह	निवासी 17 एल.एन.पी. गांव मनफूल सिंह वाला वाया गनेशगढ पोस्ट लाधुवाला, श्रीगंगानगर
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	डॉ० एकता भुवाल पुत्री श्री लालचन्द	निवासी चंक-2 के0 मिर्जेवाला, डाणी एस0जी0एन0आर0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	डॉ० शोएब युसूफ भाटी पुत्र श्री मोहम्मद युसूफ भाटी	निवासी छिपों का मौहल्ला, विश्वकर्मा मंदिर के सामने, कुचामन सिटी, नागौर
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	डॉ० सोनाली सोनी पुत्री श्री उमेश वर्मा	निवासी क्वार्टर न०-18-ए, रेल्वे प्रशिक्षण संस्थान, रेल्वे कॉलोनी, सुखाड़िया सर्कल, उदयपुर।

Conf....

11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	डॉ० मनोहर खान पुत्र श्री नेमते खान	निवासी ग्राम पोस्ट डाबला तहसील व जिला जैसलमेर
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	डॉ० विनय डेण्डोर पुत्र श्री लक्ष्मण लाल डेण्डोर	निवासी मकान नं०-192, न्यू हॉस्पिटल, इन्द्रा नगर कॉलोनी, डूंगरपुर
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	डॉ० अर्चना मीणा पुत्री श्री शान्ति लाल मीणा	निवासी मुकाम पोस्ट कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० दीपमाला कुमावत पुत्री श्री लालाराम कुमावत	निवासी 130, विजयनगर, कूड़ी भगतासनी, बासनी जिला जोधपुर
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	डॉ० पीयूष नारायण शर्मा पुत्र श्री चांद नारायण शर्मा	निवासी 757 स्कीम नं-10-ए, विवके विहार, अलवर
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	डॉ० सुमन गोस्वामी पुत्री श्री सुरेश गिरी गोस्वामी	निवासी मंगलेश्वर सदन, टीचर्स कॉलोनी, वार्ड नं-1, कोटा बेरियल रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० दीपशिखा पारीक पुत्री श्री चिमन प्रकाश पारीक	निवासी सुभाष कॉलोनी, एस0बी0आई0 बैंक के पीछे, दौसा
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	डॉ० गार्गी पारीक पुत्री श्री गंगा सहाय पारीक	निवासी डी-52, समता नगर, बीकानेर



 निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/ 518

दिनांक : 16/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान जयपुर।